उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1

संख्या-44/80/84-1-14-18 बामा/2012टीसी

लखनऊ दिनॉक 22 जनवरी 2014

शुद्धि-पत्र

शासन के पत्र संख्या-41/1325/84-1-13-18 बामा/2012टीसी दिनॉक 21 जनवरी 2014 द्वारा राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि रू0 27,60,000/- (सत्ताइस लाख साठ हजार रूपये) मात्र का पुनर्विनियोग स्वीकृत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 1,85,000/- के स्थान पर रू0 75,000/-त्रुटिवश टंकित हो गया है। अत: लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 75,000/-के स्थान पर रू0 185000.00 पढा जाय।

2- शासनादेश दिनॉक 21-01-2014 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

धर्म चन्द्र पाण्डे

अनु सचिव।

संख्या-44/80/84-1-14-तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
5- नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग को उनके पत्र संख्या-519/निविमावि- लेखा-7 (25) मॉग/2013-14 के संदर्भ में।
6- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
10- गार्ड फाइल।

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in